

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम-सिरोही(राज.)

वादी
1. श्री गेलाराम पुत्र श्री देवाजी
जाति कलबी नि. सियाकरा
तहसील व जिला सिरोही

प्रतिवादीगण
बनाम 1. श्री भूराराम पुत्र श्री अचलाराम
जाति कलबी नि. सियाकरा
तहसील व जिला सिरोही
व अन्य-04

किस्म मुकदमा
रा.वाद. अ.धारा 53 आर.टी. एक्ट

रा.वाद सं. 34 / 2018

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
26-07-18	<p>वादी ने यह रा.वाद अ.धारा 53 आर.टी.एक्ट का जरिये अधिवक्ता विरुद्ध प्रतिवादीगण का हमारे समक्ष इस न्यायालय में पेश किया। हमने उक्त रा.वाद व संलग्न दस्तावेजात प्रतियों का अवलोकन किया तथा उस पर मनन किया तो हम उक्त रा.वाद में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियों आश्वस्त होने से दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। मिसल आयन्दा वास्ते इन्तजार तामिली व जवाब प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 13-08-2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही</p> <p><u>दि 1-8-2018</u></p> <p><i>[Handwritten text in Hindi, mostly illegible]</i></p> <p>फतः विचारण यह वाद प्रकृत 53 रज. अ. धारा 53 आर.टी. एक्ट का वादी द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण को पेश किया गया है। प्रथम दृष्टियों संज्ञित है कि उक्त वाद श्वारिज किया जाता है कि नतीजतन जजल में मुकदमा कैसल शुमार होकर नंबर 34 से पेश हो।</p>	<p>2472-76 26/7/18</p> <p><i>[Handwritten notes and signatures]</i></p> <p>सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)</p> <p>01/08/18</p>